

मध्य प्रदेश शासन,  
वाणिज्यिक कर विभाग,  
मंजालया, तल्लभा भवन, भोपाल- 462008

// आदेश //

क्रमांक बी-4-02/2012/2/पांच (14)

भोपाल दिनांक 30 मार्च, 2012

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, लघु उद्योगों की दशा में तथा आवासीय प्रयोजन के लिए दस करोड़ रुपए तक के ऋण को प्रतिभूत करने के लिए हक विलेखों के निक्षेप से संबंधित करार की लिखतों पर उक्त अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 6 के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दर को घटाकर, प्रतिभूत ऋण की रकम का 0.125 प्रतिशत करती है।

2. यह आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

30-3-12  
(एन.के. जैन)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH  
COMMERCIAL TAX DEPARTMENT  
MANTRALAYA, VALLABH BHAWAN BHOPAL-4620004

// ORDER //

No.F-B-4-02/2012/2/5, (14)

Bhopal, dated 30 March, 2012

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, reduces the rate of stamp duty chargeable under article 6 of Schedule 1-A of the said Act to 0.125 percent of the amount of loan secured on instruments of agreement relating to deposit of title deeds for securing loan upto ten crore rupees in case of small scale industries and for residential purposes.

2. This order shall come into force w.e.f. 1<sup>st</sup> April, 2012.

**By-order and in the name of the  
Governor of Madhya Pradesh,**

*30.3.12*  
**(N.K. Jain)**

Deputy Secretary  
Government of Madhya Pradesh